निगरानी / एलआर / 7066 / 2008 / गंगानगर
चम्पा आदि बनाम भोमाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री पंकज नरुका, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री दिलीप सिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थीगण (2) श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** दिनांक : 18.03.21 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय संभागीय आयुक्त बीकानेर दिनांक 25.08.2008 जो कि उनके द्वारा अपील संख्या 49 / 2007 में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री जोगाराम के नाम तहसील पदमपुर के चक 11–बी बी के मु.न. 5 में 12.5 बीघा तथा मु0नं0 7 में 12.5 बीघा भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर आवंटित की गयी थी जिसकी किश्तें जमा होने पर सनद भी जारी हो हुई। जोगाराम की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान का नामा0 भी प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थी संख्या एक के नाम स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी संख्या एक भोमाराम द्वारा विरासतन इंन्तकाल संख्या 251 दिनांक 21.298 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसमें उल्लेख किया कि जोगाराम ने अपने जीवनकाल में उसके पक्ष में 18.12.95 को रजि0 वसीयत करवाई थी, जो विरासतन नामा0 तस्दीक होने के बाद मिली है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त नामा0 को निरस्त कर प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु तहसीसलदार को रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार ने नामांतकरण को बहाल रखा जिसके विरूद्द उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर अपील निर्णय दिनांक 12.2.2007 को द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की अपील स्वीकार की गयी, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश होने पर उनके द्वारा अपील को खारिज कर दिया । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3— अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4— निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि पक्षकारान के पिता जोगाराम को विवादित आराजी का आवंटन हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद विरासतन का इन्तकाल जोगाराम की उपस्थिति में ही विधिवत रुप से तस्दीक हुआ था। सभी का हिस्से अनुसार कब्जा है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या एक की अपील स्वीकार कर जो आदेश 21.2.98 को स्वीकृत इन्तकाल को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद कोई दस्तावेज पेश नहीं किये न ही कोई जबाबदेही पेश की न ही वसीयतनामा पेश किया। इस पर तहसीलदार ने विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये और विधिवत बंटवाडा करने का भी आदेश दिया जो विधि सम्मत होने के बावजूद अतिरिक्त कलक्टर ने अपील स्वीकार कर पूर्व में स्वीकृत नामा0 को निरस्त करने में कानूनी विधिक त्रुटि की है, जिसकी अपील विद्वान आयुक्त के समक्ष पेश करने पर उनके द्वारा भी अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि विवादित आराजी जोगाराम को कस्टोडियन के तहत सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई थी इस कारण प्रत्येक आवंटित सदस्य का आवटनसुदा आराजी के प्रत्येक हिस्से पर बराबर हिस्सा बनता है, जिसको नहीं मानने में दोनों ही अधिनस्थ न्यायालयों ने कानूनी भूल की है। अन्त में निगरानी याचिका को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया गया। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2004 (11) पेज 610, आरआरटी 2009 (1) पेज 685 व आरआरटी 2010 (2) पेज 952 की नजीरें पेश की। 5— इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2020 आरबीजे पेज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	286, 2020 आबीजे पेज 16, 2019 (1) आरआरटी पेज 184 एवं राजस्व मण्डल का प्रकरण संख्या निगरानी/टीए/2526/2019 की नजीरें पेश की। 6— अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया। 7— अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित आराजीयात का आवंटन पक्षकारों के स्वर्गीय पिता जोगाराम को हुआ था जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 18.12.1995 को वसीयत के माध्यम से अपने पुत्र भोमाराम के नाम उक्त आराजीयात की वसीयत कर दी, किन्तु जोगाराम के मृत्यु के पश्चात वसीयत उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी वारिसान के नाम वसीयत का नामान्तरकरण खोला गया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.) श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड कर पुनः उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.2.07 के माध्यम से पुनः पूर्व नामान्तरकरण को बहाल रख दिया गया जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.) श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2007 के माध्यम से अपील स्वीकार कर पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 18.12.1995 के अनुसरण में भोमाराम के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिए गए जिसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2008 के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि पंजीबद्ध वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया हो। इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि भूमि का आवंटी मृतक जोगाराम ही था, केवल परिवार के सदस्यों का नाम आवंटनपत्र में लिखे जाने से यह कतई नहीं माना जा सकता कि आवंटन सभी परिवारजनों के नाम हुआ हो बल्कि आवंटन जोगाराम के नाम हुआ है। स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रही है, बल्कि आवंटन के माध्यम से जोगाराम की स्वअर्जित आराजी है और	

अपील / एलआर / 3718 / 2001 / गंगानगर
सरकार बनाम पुष्पाकंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसकी वसीयत का उसे अधिकार है, हालांकि इस निगरानी याचिका में पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, किन्तु जहां तक विवादित नामान्तरकरण का प्रश्न है सम्बन्धित विधि के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत वसीयत के आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं कर सभी वारिसान के नाम वसीयत का नामान्तरकरण दर्ज करने में निश्चित ही त्रुटि की गई है जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.) श्रीगंगानगर द्वारा आदेश को अपास्त कर वसीयत के मुताबिक नामान्तरकण दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए है। उसके विरूद्ध अपील को विद्वान संभागीय आयुक्त बीकानेर ने भी खारिज कर दिया गया है। अधीनस्थ दोनों ही न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है। 8— परिणामस्वरूप निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड नियमानुसार भेजा जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरुका)** **सदस्य**	